अनुसूचित जाति

***डॉ सत्या मिश्रा**

भारत में एक बड़ा भाग अनुसूचित जातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जन संख्या का 16.1% है।

यद्यपि परम्परागत रूप से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अधीन पायी जाती रही है तथापि प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी0 एस0 घुर्ये ने शूद्र वर्ण से सम्बन्धित जिन असत् शूद्र जातियों की व्याख्या अपनी पुस्तक Caste, Class & Occupation में की हैं वे जतियाँ अस्पृश्य हैं और उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

लुई डूमों ने भी जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था पर आधारित माना है और पंचम वर्ण (ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एवं असत् शूद्र) पर आश्रित जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियाँ असत् शूद्र वर्ण से सम्बन्धित हैं। ये जातियाँ डूमों के अनुसार व्यवस्था से बाहर हैं तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक आधिकारों से रहित अथवा वंचित हैं।

अस्पृश्य जातियों के जिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम इसका अनुप्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 1936 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश जारी किया जिसमें कुछ जातियाँ असम, बँगाल, बिहार, बम्बई, मध्यप्रान्त, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त से सम्बन्धित थीं।

एसोशिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

नारी शिक्षा निकेतन (पी0जी0) कॉलेज लखनऊ।

अनुसूचित जातियों को Depressed Classes अथवा दलित वर्ग भी कहा जाता रहा है जिसकी व्याख्या 1931 की जनगणना में सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करते हुए की गई थी। 1936 की अनुसूचित जातियों की सूची दलित वर्गों की सूची जैसी ही थी।

अनुसूचित जातियों को ज्योतिबा फुले ने दलित, महात्मा गाँधी ने हरिजन तथा भीमराव अम्बेडकर ने पंचम वर्ण एवं अन्त्यज की संज्ञा दी। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में पहली सूची में परिवर्धन करके एक अन्य सूची बनाई गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में कतिपय पिछड़े जाति- समुदायों जो कि अस्पृश्यता एवं की वह सामाजिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थे; अनुसूचित जाति घोषित किया गया। अनुसूचित जाति संबोधन की उत्पत्ति प्रशासनिक है ना कि सामाजिक।

अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, प0 बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तथा आँध्रप्रदेश राज्यों में केन्द्रित है। अनुसूचित जातियों की सबसे कम जनसंख्या मिजोरम में 2011 की जनगणना में पाई गई है। उल्लेखनीय है कि अरूणांचल प्रदेश, नगालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप में किसी भी अनु0 जाति का निवास नहीं पाया गया है।

अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945/1000 पुरूष है। अनु0 जातियों की आबादी का अधिकाँश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अधिकाँशतः ये कृषि पर आधारित जीवन यापन करते हैं। इनमें कृषि मजदूर, बँटाई पर कार्य करने वाले तथा सीमान्त एवं लघु कृषक हैं।

परम्परागत रूप से अनुसूचित जातियाँ अनेक सामाजिक भेदभावों एवं निर्योग्यताओं का शिकार रही हैं। अस्प्रश्यता, पवित्रता एवं प्रदूषण, भूमि हीनता, बेगार, अशिक्षा, पृथकता अथवा विलगाव, ऋणग्रस्तता, बालश्रम इनकी प्रमुख समस्यायें हैं। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय एवं समानता के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है। अतः अनु0 जातियों

को भेदभाव एवं निर्योग्यताओं से मुक्त करने तथा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु कुछ प्रावधान किये हैं यथा-

1. अनुच्छेद 15(2) में अनु0 जातियों को सभी निर्योग्यताओं, दायित्वों, निरबन्धनों एवं शर्तों से मुक्त करते हुए सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। जैसे- सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के केन्द्रों, कुओं, तालाबों, सड़कों तथा सार्वजानिक समागम के स्थलों के समान उपयोग का प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनु0 जातियों को कोई सुविधा उपलब्ध कराने से नहीं रोकेगा।
3. अनु0 16 में राज्य के अधीन सेवाओं में जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनकी नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपलब्ध करने से वचित नहीं किया जायेगा।
4. अनुच्छेद- 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है।
5. अनुच्छेद- 25 अनु0 जाति को हिन्दुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में प्रवेश का उपबन्ध करता है।
6. अनुच्छेद- 29 अनु0 जातियों को राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश का प्रावधान करता है।
7. अनुच्छेद- 46 शिक्षा तथा सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अन्याय एवं शोषण से रक्षा का प्रावधान करता है।
8. अनुच्छेद- 330 एवं 332 द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनु0 जाति के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है।
9. अनुच्छेद- 338 एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है जोकि संविधान के अधीन उपबन्धित रक्षा उपायों के सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। 65वें

संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

10.अनुच्छेद- 341 राष्ट्रपति को किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनु0 जाति घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनु0 जातियों के आधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में कई विधान भी बनाये गये हैं यथा- अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन अधिनियम 1955, अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रर्कीणन उपबन्ध अधि0 1976 एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जन0 (अत्याचार निवारण) अधि0 1989 इत्यादि।

इसी प्रकार से अनेक अन्य संवैधानिक संरक्षण की नीतियों द्वारा अनु0 जाति के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके सशक्तीकरण का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार अनु0 जातियों की व्याख्या कमजोर वर्ग के रूप में करती है- जिसके कल्याण हेतु बहुआयामी योजनायें संचालित की जा रही हैं।

अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं यथा- अनु0 जाति उपयोजना (1980), अनु0 जाति विकास निगम (1979), राष्ट्रीय अनु0 जाति वित्त और विकास निगम, अनु0 जातियों के लिए उद्यम पूँजी कोष (2014), अनु0 जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (2014) इत्यादि। अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ न केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/राष्ट्रीय अनु0 जनजाति आयोग का गठन 1993 में अनुच्छेद 383 के अन्तर्गत किया गया था जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया- एक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन0सी0एस0सी) और दूसरा, राष्ट्रीय अनु0 जनजाति आयोग। एन0सी0एस0सी0 अनु0 जातियों की सुरक्षा की निगरानी और कल्याण संबधी मुद्दों की समीक्षा हेतु उत्तरदायी

है। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक सशक्तीकरण की भी अनेक योजानायें संचालित की जा रही हैं।

समाजशास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तरोत्तर अनु0 जातियों में ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता का संचार हुआ है।

<u>संदर्भ ग्रन्थ सूची</u>

1. घुर्ये, जी0एस0, कास्ट क्लास एण्ड ओकूपेशन।
2. भारत, 2011, (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. हसनैन, नदीम, 2004, समकालीन भारतीय समाज एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेंटर, लखनऊ।
4. डूमों, लुई, 1970, होमो हायरेरिकीकसः द कास्ट सिस्टम एण्ड इट्स इम्पलीकेशंस, शिकागो युनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो।
5. कश्यप, सुभाष, 1997, भारत का संविधान का विकास और संविधान, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली वि0वि0।